क्रमांकः FDS –H(S)-TAP-2022-23-VI-
हिमाचल प्रदेश सरकार,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ।

लाहौल एवं पांगी घाटी के लिए वर्ष 2022–23 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के सामान्य ढुलान एवं असामान्य परिस्थितियों में स्पिति घाटी के लिए वाया रोहतांग व कुजंम पास तथा चम्बा से पांगी घाटी के लिये वाया साच पास (यदि भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र कारघा से सडक मार्ग बंद होने के कारण आवश्यक वस्तुएं भेजना सम्भव न हो) ढुलान हेतु निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है ।

1. **पांगी उप–मण्डल एवं लाहौल उप–मण्डल :–**

वर्ष 2022–23 के लिए चम्बा जिला के पांगी उप–मण्डल एवं लाहौल एवं स्पिति जिला के लाहौल उप–मण्डल के निम्न वर्णित स्थानों से यथा वर्णित गन्तव्य स्थानों तक खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं तथा गन्दम, गन्दम आटा, चावल, चीनी, नमक, दालें, खाद्य तेल एवं किसी भी अन्य आवश्यक वस्तु (जो बाद में दर्शाने योग्य पाई जाये) के ढुलान हेतु मोहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है । यह निविदाएं इस नोटिस के प्रकाशन के उपरान्त निदेशालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, ब्लाक नम्बरः 42 एस0डी0ए0 कम्पलैक्स कसुम्पटी शिमला–9 में दिंनाक 26 अप्रैल, 2022 को अपरांहन 12:00 बजे तक इस आशय हेतु रखे गये बक्से में डाले जा सकते हैं। ये निविदाऐं 26.04.2022 को सांयः 03:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के आदेशानुसार गठित अधिकारियों की कमेटी द्वारा खोली जाएगी । परिवहन किये जाने वाले खाद्यान्नों एवं आवश्यक वस्तुओं की अनुमानित मात्रा की जानकारी किसी भी कार्य दिवस पर ली जा सकती है ।

निविदाओं का विवरण :–

क्र0 स0	**केन्द्र का नाम जंहा से ढुलान किया जाना है ।**	**गन्तव्य स्थान**
1.	भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र कारघा /राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र कारघा ।	केलंग, उदयपुर, गैमूर, गौंदला, कुरछेड़, तिन्दी, मोरिंग, चांगुट, सीसू, सौर, पुर्थी, साच, साहली, सेचू, रेई, कुमार, परमार, किलाड़ तथा धरवास, काजा, ताबो, हंसा, गुलिंग व कारघा ।
2.	भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र चम्बा /राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र चम्बा (सड़क उपलब्ध हो जाने की शर्त पर)	चम्बा से पांगी घाटी, सौर, पूर्थी, साच, साहली, सेचू, रेई, कुमार परमार, किलाड़ तथा धरवास ।(भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र चम्बा से आवश्यक वस्तुएं उसी स्थिति में भेजी जाएंगी, यदि भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र कारघा से सडक मार्ग बन्द होने के कारण आवश्यक वस्तुएं भेजना सम्भव न हो। पहली प्राथमिकता कारघा पी0डी0सी0 से ही रहेगी)

3.	भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र कुल्लू /राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र कुल्लू ।	कारघा, केलंग, उदयपुर, गैमूर,गौंदला, कुरछेड़, तिन्दी, मोरिंग, चांगुट, सीसू, सौर, पुर्थी, साच, साहली, सेचू, रेई, कुमार परमार, किलाड़ तथा धरवास
4.	भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र मण्डी /सी0डब्लयू0सी0 गोदाम नेरचौक/राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र लूणापाणी/मण्डी ।	कारघा, केलंग, उदयपुर, गैमूर, गौंदला, कुरछेड़, तिन्दी, मोरिंग, चांगुट, सीसू, सौर, पुर्थी, साच, साहली, सेचू, रेई, कुमार परमार, किलाड़ तथा धरवास, काजा, ताबो, हंसा, गुलिंग तथा कारघा ।
5.	टी0के0डी0 कारघा (केवल मिटटी तेल हेतु)	सौर, पुर्थी, सेचू, साहली, साच, किलाड़ धरवास, रेई तथा कुमार परमार ।

2. स्पिति उप–मण्डल (केवल विशेष परिस्थितियों में वाया रामपुर रास्ता बन्द होने की स्थिति में) :–

क0 स0	केन्द्र का नाम जहां से ढुलान किया जाना है ।	गन्तव्य स्थान
1.	भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र कुल्लू / राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र कुल्लू ।	काजा, ताबो, हंसा तथा गुलींग ।
2.	भारतीय खाद्य निगम वितरण केन्द्र मण्डी /सी0डब्लयू0सी0 गोदाम नेरचौक / राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र लूणापाणी/ मण्डी ।	काजा, ताबो, हंसा तथा गुलींग ।

निविदा की शर्ते :–

1. मोहरबन्द निविदाओं के साथ 25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) की धरोहर राशि संलग्न करना आवश्यक है । धरोहर राशि के बिना निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। धरोहर राशि Account Payee Demand Draftt or duly pledged Fixed deposit or Bank Guarantee from a commercial bank to safeguard the interest of the Department के रूप में जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिबन्धित होनी चाहिए । असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि शीघ्र ही वापिस कर दी जाएगी ।

2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी तथा निर्धारित तिथि/समय के उपरान्त कोई भी निविदा स्वीकार नही की जाएगी ।

3. सफल निविदाकर्ता को सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प्र0 राज्य नागरिक आूपर्ति निगम के साथ सात दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा तथा प्रत्येक को मु0: 1,00,000/–(एक लाख रूपये) प्रतिभूति राशि Account Pay Demand Draftt or duly pledged Fixed deposit or Bank Guarantee from a commercial bank to safeguard the interest of the Department के रूप में प्रतिबन्धित करवाकर जमा करवानी होगी ।

4. यदि सफल निविदादाता निर्धारित अवधि तक सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प्र0 राज्य नागरिक आूपर्ति निगम के साथ अनुबन्ध करने में असफल रहता है तो उस द्वारा

जमा धरोहर राशि को सरकार के पक्ष में बिना कारण बताओ नोटिस दिए जब्त कर दिया जाएगा ।

5. परिवहन दरें मुख्य वितरण केन्द्रों/हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से तुलाई, लदाई एवं गन्तव्य स्थान तक ढुलाई और वंहा पर उतराई, तुलाई एवं ढांग लगाने सहित तथा यदि कोई सर्विस टैक्स/अन्य टैक्स देय हो तो उसके सहित दी जाये । इस कार्य के लिए परिवहन ठेकेदार को स्वंय ही वाहन एवं परिवहन मजदूरी का प्रबन्ध करना होगा ।

6. ठेकेदार को खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुऐं ग्रॉस वजन में दी जाएगी तथा परिवहन किराये की अदायगी नैट वजन में की जाएगी । **परिवहन के दौरान रास्तें में आई कमी को ठेकेदार से नियन्त्रित मूल्य तथा खुले बाजार में प्रचलित दर के हिसाब से तुलनात्मक (अन्तर) मूल्य की राशि के दोगुने के हिसाब से वसूल किया जाएगा ।**

7. ठेकेदार को खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुऐं सही हालत में सौंपी जाएगी तथा उसी हालत में गन्तव्य स्थान पर सम्बन्धित गोदाम प्रभारी को सौंपनी होगी । खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुऐं नमी वाली नहीं ली जाएगी । अतः सम्बन्धित निविदाकर्ता नमी वाली वस्तुऐं प्राप्त न करें ।

8. सफल ठेकेदार को खाद्यान्नों/आवश्यक वस्तुओं का ढुलान निम्न सारणी अनुसार दिंनाक 15.10.2022 तक पूरा करना होगा तथा गन्तव्य स्थान तक 31.10.2022 तक पहुंचाकर रसीद प्राप्त करके 15.11.2022 तक सम्पूर्ण बिल अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगें ।

✓ जुलाई, 2022	कुल मात्रा का 20 प्रतिशत।
✓ अगस्त, 2022	कुल मात्रा का 30 प्रतिशत।
✓ सितम्बर, 2022	कुल मात्रा का 35 प्रतिशत।
✓ अक्तूबर, 2022	कुल मात्रा का 15 प्रतिशत।

इस समय सारणी के अनुसार कार्य अमल मे न लाने पर प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ अन्य वांछित कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी ।

9. ठेकेदार को गन्तव्य स्थान पर पहुंचाये गए स्टाक की परिवहन किराये की अदायगी 90 प्रतिशत की जाएगी तथा शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान परिवहन कार्य पूर्ण होने के बाद किया जाएगा । परिवहन बिल के साथ तोल सारणी/जी0आर0 ठेकेदार को सलंग्न करनी होगी । खाद्यान्न प्राप्ति रसीद सम्बन्धित गोदाम प्रभारी से लेकर उसे उप–मण्डलाधिकारी/सम्बन्धित द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए ।

10. परिवहन ठेकेदार को सौंपी गई मात्रा गन्तव्य स्थानों पर एक सप्ताह के भीतर सौंपनी होगी ।

11. यदि ठेकेदार ढुलाई करने में असफल रहता है, तो यह कार्य किसी अन्य ठेकेदार से करवाया जाएगा तथा अधिक परिवहन दरें/खर्चे होंगें तो प्रतिबन्धित ठेकेदार उन खर्चों का वहन करने के लिए उतरदायी होगा ।

12. प्रतिभूति राशि सम्बन्धित ठेकेदार को लेखा परीक्षा निरीक्षण के उपरान्त ही वापिस की जाएगी। लेखा परीक्षण के दौरान ठेकेदार के विरूद्ध कोई वसूली निकलती है तो उसे ठेकेदार को जमा करवाना होगा, अन्यथा प्रतिभूति राशि में से वसूली कर दी जाएगी ।

13. परिवहन कार्य अधोहस्ताक्षरी/अन्य विभागीय अधिकारियों/क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प्र0रा0ना0आ0 निगम के प्रतिनिधि के निर्देशानुसार ही करना होगा ।

14. आयकर/अन्य कर यदि देय हों की कटौती नियमानुसार समय–2 पर किराये के बिलों में से की जाएगी ।

15. आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई दरें प्रति क्विंटल के हिसाब से दी जाए, जबकि मिटटी तेल की परिवहन दरें प्रति सौ (100) लीटर के हिसाब से टी0के0डी0 कारघा से पांगी उप–मण्डल के उक्त दर्शाए गए स्थानों के लिए दी जाये, जिसमें टैंक, बेरल, टीन, जैरीकेन इत्यादि को ले जाना, खाली लाना भी शामिल होगा ।

16. परिवहन ठेके के बारे यदि कोई वाद–विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हि0प्र0 को निपटाने हेतु भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा ।

17. अनुमानित मात्रा मांग अनुसार बढ़ाई–घटाई जा सकती है तथा विभिन्न स्थानों की परिस्थितियों के अनुसार भेजी जा सकती है ।

18. अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं ।

भवदीय,

निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हि0प्र0 शिमला–9

पृष्ठांकन संख्याः यथोरि 835/-359 दिनांकः 6 अप्रैल 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान सचिव (खा0 ना0 आ0 एवं उप0 मामले) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
2. प्रबन्धक निदेशक, हि0प्र0रा0ना0आ0 निगम शिमला–09।
3. आवासीय आयुक्त पांगी स्थित किलाड़।
4. उपायुक्त केलांग।
5. अतिरिक्त उपायुक्त काजा।
6. उप–नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) निदेशालय, खा0 ना0 आ0 एव उप0 मा0 शिमला–09।
7. उप–निदेशक, खा0 ना0 आ0 एवं उप0 मामले शिमला–09।
8. महा प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम शिमला–09।
9. जिला नियन्त्रक, खा0 ना0 आ0 एवं उप0 मामले, मुख्यालय।

10. जिला नियन्त्रक, खा0 ना0 आ0 एवं उप0 मामले, मण्डी, कुल्लू, चम्बा व केलांग को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त निविदा को सर्वसाधारण के सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर लगाएं । इसके अतिरिक्त उक्त निविदा की निर्धारित तिथि के सम्बन्ध में गत वर्ष की भान्ति समस्त ठेकेदारों तथा हि0 प्र0 रा0 ना0 आ0 निगम को भी उक्त निविदा के बारे में शीघ्र अवगत करवाऐं । निविदा की अन्य शर्तों आदि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी हेतु विभाग की वैबसाईट www.himachal.nic.in/food पर सम्पर्क करें ।

निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले, हि0प्र0 शिमला–9।